ई-1696270

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 17-03-2023

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अब्दुल गनी उर्फ मोटे पुत्र श्री कतीबन बंजारा को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-6731/सामा-1(4)/82/बन्दी स्था0/2022, दिनांक 01-03-2023 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल-2022 के प्रस्तर-118 सपठित प्रस्तर-385 में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष/विचाराधीन बंदी अब्दुल गनी उर्फ मोटे पुत्र श्री कतीबन बंजारा, निवासी-गोपीजोत, थाना-मोहाना, जनपद-सिद्धार्थनगर को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ स्थानांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।

4- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी/फर्रूखाबाद।

5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी/फर्रूखाबाद।

6- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदी को जिला कारागार, झांसी से केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में स्थानांतरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से शासन को उपलब्ध करायें।

7- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in